आदरणीय पुलिस महानिदेशक, बिहार श्री के० एस० द्विवेदी साहब,
आज की बैठक में पधारे बिहार पुलिस के वरीय पदाधिकारीगण
विभिन्न व्यवसायिक संगठनों के पदाधिकारीगण
चैम्बर के सदस्यगण तथा
प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रोनिक्स मीडिया के मित्रों

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज प्रांगण में, मैं राज्य के व्यवसायियों, उद्यमियों एवं अपनी ओर से राज्य के पुलिस महानिदेशक तथा पुलिस प्रशासन के अन्य वरीय पदाधिकारियों का स्वागत् करता हूँ । महोदय, मीडिया एवं अन्य माध्यमों से हमें आपके द्वारा लिये जा रहे अन्वेंशी एवं प्रगतिशील कदमों की जानकारी मिलती रही है जिसके माध्यम से आप बिहार पुलिस बल को सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहते हैं । हम राज्य की सामान्य जनता की भलाई के प्रति आपकी संवेदनशीलता तथा आपकी सरलता से भी पूर्ण परिचित हैं ।

किसी भी राज्य के आर्थिक विकास में व्यवसायियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और अपराधी तत्वों का शिकार भी यही समाज होता है ।

महोदय, घटनाओं में त्वरित उद्बेधन से व्यवसायी समाज में आत्मविश्वास बढ़ता है साथ ही अपराधियों का मनोबल गिरता है । अपराध पर नियंत्रण पाने के लिए एवं अपराधियों के मन में पुलिस का भय हो इसके लिए पुलिस को भी आधुनिक तकनीक एवं कानूनी शक्तियों से लैस होना आवश्यक है । हम कुछ प्रमुख सुझावों पर आपका ध्यान दिलाना चाहेंगे :–

<u>अद्यतन तकनीक से पुलिस बल का आधुनिकीकरण</u> :–

पुलिस बल को अति आधुनिक हथियार, सूचना तकनीक एवं आधुनिक इलेक्ट्रोनिक उपकरणों से सुसज्जीत करना नितान्त आवश्यक है । अद्यतन सूचना तकनीक के उपकरण पुलिस प्रशासन को अपराध पर नियंत्रण में बड़ी सहायता पहुँचा सकती है । पुलिस स्टेशनों को और आधुनिक बनाने की आवश्यकता है ।

<u>बड़े पुलिस थानों के अर्न्तगत ज्यादा पुलिस आउट पोस्ट की स्थापना</u> :–

पटना शहर में गॉधी मैदान, कदमकुऑ, पीरबहोर, पाटलिपुत्रा, बुद्धा कोलोनी, आलमगंज, सुल्तानगंज, खाजेकला, सिटी चौक जैसे थानों का अधिकार क्षेत्र बहुत बड़ा है । इसलिए इन थानों में पुलिस प्रशासन को ज्यादा प्रभावी बनाने के लिये इनके अर्न्तगत ज्यादा आउट पोस्ट स्थापित करने की आवश्यकता है । जजेज कोर्ट रोड में भी एक पुलिस आउट पोस्ट स्थापित किया जाना चाहिये ।

<u>दुपहिया वाहन पर पेट्रोलिंग</u> :–

दुपहिया वाहन पर पेट्रोलिंग अत्यन्त प्रभावी होती है । हाल के दिनों में दुपहिया वाहन से पेट्रोलिंग आरंभ तो की गयी है परन्तु यहाँ की संकीर्ण गलियों की अधिकता को देखते हुए उनकी संख्या को बढ़ाने एवं उसे और कारगर बनाने की आवश्यकता है तथा दुपहिया वाहन के जरिये अधिक से अधिक पेट्रोलिंग की व्यवस्था करने की जरूरत है ।

महोदय, पटना पुलिस की पुलिस गश्ती साईकिल द्वारा कराने का निर्णय स्वागतयोग्य कदम है इसका प्रयोग राज्य के अन्य जिलों में भी किया जा सकता है ।

क्रमश:..... 2

निजी वाहनों की जॉच

— बिहार में पूर्ण शराब बंदी के बाद अवैध व्यवसाय में लगे लोगों पर नियंत्रण के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा निजी वाहनों का जॉच किया जाता है । लेकिन ऐसा देखा जाता है कि जिस निजी वाहन में आपत्तिजनक वस्तु नहीं प्राप्त होता है उस वाहन को भी केवल नकद रूपया ले जाने के कारण रोक कर परेशान किया जाता है ।

आपको विदित है कि व्यवसायी को विभिन्न उद्देश्यों यथा— माल खरीदने, बेचने, बैंक में जमा करने या बैंक से निकासी के क्रम में अपने निजी वाहन से नकद लेकर आवागमन किया जाना आवश्यक होता है । अत: इस संबंध में आपके स्तर से स्पष्टीकरण चाहेंगे कि कौन सा कागजात साथ रखना आवश्यक है जिससे कि व्यवसायी परेशानी से बच सकें ।

ट्रकों का परिचालन

— दिनांक 14.05.2018 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि महात्मा गॉधी सेतु पर बालू एवं गिट्टी परिवहन करनेवाले ट्रकों का परिचलन पूर्णत: निषेध होगा । इन ट्रकों का परिचालन वीर कुँवर सिंह सेतु या राजेन्द्र सेतु से होगा । बैठक के निर्णयानुसार निषेध का उद्देश्य केवल बालू एवं गिट्टी वाले जो ट्रक हैं उन्हीं पर था न कि आम वस्तुओं के ले जानेवाले पूर्व से चल रहे मध्यम वाहन (6 चक्का वाले वाहन) के लिए था ।

इस संबंध में पुलिस अधीक्षक यातायात कार्यालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में भी यह उल्लेख किया गया है कि ट्रैक्टर एवं मध्यम वाहन सुबह 08.00 बजे से 11.00 बजे एवं संध्या 05.00 बजे से 08.00 बजे मे महात्मा गॉधी सेतु पर दोनों तरफ से आवागमन हेतु पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा । इस तरह के वाहन एन०एच० के सड़क को छोड़कर कतार में सड़क के बॉयें नीचे रोकने के समय खड़े होंगे । अत: सुबह 08.00 बजे से 11.00 बजे एवं संध्या 05.00 बजे से 08.00 बजे तक निषेध किया गया है । बाकी समय में इसका परिचलान होना चाहिए । इस संबंध में वस्तु स्थिति से अवगत कराने की कृपा करेंगे ।

मुख्य सचिव की बैठक में यह भी निर्णय हुआ था कि महात्मा गॉधी सेतु के बगल में स्थित पीपा पुल छोटे वाहनों के आवागमन के लिए 24 घंटे चालू रहेगा अत: पुल के दोनों तरफ से आने एवं जाने के लिए इसे 24 घंटे चालू रखा जाए ।

व्यापारिक अवधि में पेट्रोलिंग में वृद्धि :—

व्यापारिक अवधि में पेट्रोलिंग बढ़ाया जाना चाहिए तथा व्यापारियों एवं उद्यमियों के लिए पुलिस विभाग में एक विशेष विंग की स्थापना किया जाना चाहिए । यह देखा गया है कि व्यापारिक स्थानों में व्यापारिक अवधि में ही अपराध घटित होते हैं, इसलिए हमारा सुझाव है कि व्यापारिक अवधि में पेट्रोलिंग बढ़ाया जाना चाहिए । साथ ही पुलिस विभाग में व्यवसायियों के लिए एक विशेष विंग की स्थापना की जानी चाहिए जिससे उनकी शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की जा सके ।

आज के परिवेश में अपराध पर अंकुश लगाने में CCTV की भी काफी अहम भूमिका है। इसे अधिक से अधिक सघन व्यापारिक स्थलों यथा सब्जीबाग, हथुआ मार्केट, पटना मार्केट, एक्जीविशन रोड, फ्रेजर रोड, न्यू मार्केट आदि प्रमुख व्यवसायिक स्थलों पर CCTV लगाया जाना आवश्यक है । पुलिस प्रशासन को अपराध के उदभेदन में CCTV का उपयोग से काफी सफलता मिली है । बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने भी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से कहा है कि अपने—अपने प्रतिष्ठानों में CCTV अवश्य लगावें और जिन व्यवसायियों का प्रतिष्ठान रोड के किनारे है वे रोड साइड में भी एक—दो कैमरा अवश्य लगाएं ।

क्रमश:.....3

नियमित बैठक की व्यवस्था :–

पुलिस प्रशासन द्वारा विभिन्न जिलों में अवस्थित चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं अन्य व्यापारिक संगठनों के साथ नियमित आधार पर बैठकें आयोजित की जानी चाहिये ।

हम पुलिस महानिदेशक महोदय के आभारी हैं कि जब भी पटना से बाहर जहॉ जाते हैं वहॉ उनकी इच्छा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ बैठक करने की रहती है । इसका स्पष्ट प्रमाण है कि इन्होंने अपने भ्रमण के क्रम में मोतिहारी एवं गया के व्यवसायियों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं को जानने एवं उसके निदान का प्रयास किया है ।

ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के सुझाव :–

– ट्रैफिक की समस्या केवल पुलिस प्रशासन से ही संबंधित नहीं है बल्कि इसमें कई विभागों की भागीदारी होती है इसलिए हमारा सुझाव है कि सरकार के स्तर पर ऐसा प्रस्ताव रखा जाए कि सभी संबंधित विभागों के वरीय पदाधिकारियों की एक कमिटी बनाकर संयुक्त रूप से पहल किया जाए तथा एक ठोस कार्य योजना बनायी जाए । साथ ही साथ संपूर्ण राज्य में बढ़ती जनसंख्या, वाहनों का दबाव एवं संकरी सड़कों के कारण ट्रैफिक जाम एक बहुत बड़ी समस्या बन गयी है । इस सन्दर्भ में हमारा निवेदन होगा कि ट्रैफिक पुलिस के पास आधुनिक उपकरण प्रचूर मात्रा में उपलब्ध कराया जाए । साथ ही साथ ट्रैफिक पुलिस की संख्या में भी अपेक्षित वृद्धि करना आवश्यक है ।

– पटना के अधिकांश सड़को को One way करके ही ट्रैफिक व्यवस्था में आमूल–चूल सुधार हो सकता है ।

– रोड के साईड में अनाधिकृत वेंडरों के कारण भी यातायात में कठिनाई होती है अत: यातायात को सहज बनाने हेतु अनाधिकृत वेंडरों को हटाया जाना चाहिए ।

– बिहार में मुम्बई के तर्ज पर ट्राफिक ट्रेनिंग इन्स्टीच्यूट का प्रस्ताव एक स्वागतयोग्य निर्णय है ।

Noise Pollution के नियंत्रण हेतु

– Noise Pollution को नियंत्रित करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार रात 10 बजे के बाद Loudspeaker एवं बैण्ड–बाजा बजाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है अत: इसे सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।

इस संबंध में हमारा सुझाव होगा कि जितने भी Community Hall, Hotel एवं विवाह स्थल हैं उनमें स्थानीय थाना के Mobile Number एवं Telephone Number के साथ इस आशय का बोर्ड लगाया जाना चाहिए जिससे कि रात 10 बजे के बाद इसे रोका जा सके ।

– MVI Act के अनुसार गाड़ियों में अधिकतम 80 डिसिवल की ध्वनि वाले हार्न का उपयोग करना निर्धारित किया गया है लेकिन लोगों द्वारा अधिक ध्वनि वाला हार्न का उपयोग किया जा रहा है। अत: इसे नियंत्रित किये जाने की आवश्यकता है।

अन्य सुझाव

– राज्य के अधिकतर थाने का भवन काफी जर्जर अवस्था में है उसके नवनीकरण कराये जाने की आवश्यकता है। इससे वहाँ काम करने वाले पुलिस पदाधिकारियों का मनोबल भी उँचा होगा।

– राज्य के थानों में पेट्रोलिंग के लिए उपयोग में आने वाली गाड़ियों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है जिससे की उनको उपयोगी बनाकर रखा जा सके।

पटना

25 मई 2018